


बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

कार्यालय आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत आपूर्ति निरीक्षक, श्री दीपक कुमार को विभागीय आदेश ज्ञापांक- 5014 दिनांक- 30.06.2015 द्वारा मधुबनी जिला अन्तर्गत मधवापुर प्रखंड में पदस्थापित किया गया था। श्री दीपक कुमार के स्थानांतरण की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि इनका पदस्थापन गृह जिला में हो गया है।


अतः विभागीय आदेश संख्या- 5014 दिनांक- 30.06.2015 के क्रमांक- 119 पर नामित श्री दीपक कुमार के स्थानांतरण आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए इनका पदस्थापन कांटी, मुजफ्फरपुर में किया जाता है।

2. श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि अविलम्ब पदस्थापित स्थान पर अपना योगदान समर्पित करेंगे।


(भरत कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-प्र03-03-स्था0-02-01/2017 3594 खाद्य, पटना/दिनांक-24-07-17
प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा एवं तिरहुत/ जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर/सम्बन्धित उप निदेशक, खाद्य/संबन्धित अनुमंडल पदाधिकारी/संबन्धित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/संबन्धित आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि श्री कुमार को पत्र प्राप्ति के साथ ही पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु विरमित करने की कृपा की जाय।


सरकार के विशेष सचिव।